# HRA ANGUA The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 416] No. 416] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 2006/वैशाख 6, 1928 NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 2006/VAISAKHA 6, 1928

#### गृह मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2006

का. आ. 617(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मॉडल नियम बनाती है:—

- 1. **संक्षिप्त नाम व लागू होने की तिथिः** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) केन्द्रीय मॉडल नियम, 200**६** है ।
  - (2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं: इन नियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो-
  - (क) 'अधिनियमं से प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है,
  - (ख) अभिकरणं से प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अभिप्रेत है,
  - (ग) <sup>"</sup>नियंत्रक प्राधिकारीं से, अधिनियम के अधीन ऐसा घोषित नियंत्रक प्राधिकारी, अभिप्रेत है,
  - (घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है,
  - (ड.) "अनुज्ञप्ति" से अधिनियम के अन्तर्गत अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है।
  - (च) इन विनियमनों में जिन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया परंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके भी वहीं अर्थ होंगे जैसा कि उन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

## 3. आवेदकों से पूर्ववृत्त का सत्यापनः

(1) अनुज्ञप्ति के निर्गम हेतु प्रत्येक आवेदक अपने पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप 1 को पूरा करेगा और नई अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने अथवा इसके नवीकरण के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ इसे संलग्न करेगा । किसी कंपनी के मामले में, आवेदक प्रत्येक स्वत्वधारी, बहुसंख्यक शेयरधारक, साझेदार और कंपनी निदेशक का भी भरा गया प्ररूप 1, मानों वे भी आवेदक हैं, संलग्न करेगा ।

- (2) आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात नियंत्रक प्राधिकारी, आवेदक के ब्यौरे तथा आवेदन पत्र की विषय-वस्तु के सत्यापन के लिए जैसी आवश्यकता समझे वैसी जाँच कर सकेगा ।
  - (3) नियंत्रक प्राधिकारी जिले के जिला पुलिस अधीक्षक से, जहाँ प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का आशय अपनी गतिविधियां आरंभ करने का है, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा। इस प्रयोजन के लिए, वह अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र और उसके संलग्नक की एक प्रति सत्यापन और रिपोर्ट के लिए उसे भेजेगा।
  - (4) जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्येक व्यक्ति, जिसके नाम पूर्ववृत्त प्ररूप भरा जाता है, के पूर्ववृत्त के सत्यापन कराने के साथ-साथ, निम्नलिखित सूचना भी प्रस्तुत करेगाः
    - (i) क्या आवेदक अथवा कंपनी ने या तो व्यक्तिशः या अन्य की साझेदारी में पूर्वतर में कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का संचःलन किया, यदि ऐसा है तो उसका विवरण, और
    - (ii) क्या आवेदक के पास कोई विशेष अर्हता अथवा दक्षता है, जिससे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के संचालन में उसे सुविधा मिल सके ।

## निजी सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापनः

- (1) इससे पूर्व कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड अथवा पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त अथवा काम पर रखा जाए, अभिकरण निम्नितिखित में से किसी एक या अधिक रीति से व्यक्ति के चित्र व पूर्ववृत्त के बारे में स्वयं को समाधान करेगी—
  - (क) अभिकरण व्यक्ति के चरित्र तथा पूर्ववृत्त का स्वयं सत्यापन् कर सकेगा ।
  - (ख) अभिकरण व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चरित्र तथा पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र पर, जो विहित है, निर्भर कर सकेगा परंतु वह विधिमान्य हो और अभिकरण के पास किसी अन्य स्रोत से व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो।
  - (ग) अभिकरण पुलिस प्राधिकारी से प्राप्त चरित्र तथा पूर्ववृत्त रिपोर्ट पर भरोसा कर सकेगा परंतु वह जिला पुलिस अधीक्षक या उसके समकक्ष अधिकारी अथवा उससे उच्च रैंक के प्राधिकारी के हस्ताक्षर से हो।
- (2) नियोजन पाने का इच्छुक व्यक्ति या अभिकरण द्वारा लगा व्यक्ति प्ररूप 2 भरेगा। पिछले पाँच वर्षों के दौरान एक से अधिक जिलों में रहने वाले व्यक्ति के मामले में; प्ररूपों की संख्या कि अनुसार होगी। प्ररूप भरने के पश्चात, व्यक्ति अभिकरण को प्ररूप सौंप देगा।

- (3) सुरक्षा अभिकरण स्वयं प्ररूप में भरे गए ब्यौरों की सत्यता की जांच करेगा या प्ररूप को संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को भेजकर कराएगा ।
- (4) राज्य सरकार प्ररूप और पुलिस द्वारा चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की सेवा के रूप में फीस जमा करने की रीति विहित कर सकेगी।
- (5) पुलिस व्यक्ति की पहचान सिद्ध करेगी और जहाँ व्यक्ति निवास कर चुकने अथवा निवास करने का दावा कर रहा है, उस स्थान पर जाकर वहाँ के सम्मानित निवासियों से उसकी पहचान स्थापित करेगी और उसकी ख्याति के बारे में सुनिश्चित करते हुए, व्यक्ति के चिरत्र व पूर्ववृत्त का सत्यापन करेगी । वे चिरत्र व पूर्ववृत्त के सत्यापन की रिपोर्ट तैयार करने से पहले संबद्ध पुलिस स्टेशन के पुलिस अभिलेखों तथा जिला पुलिस मुख्यालय के अन्य अभिलेखों का भी अवलोकन करेगी । इस रिपोर्ट में व्यक्ति द्वारा चिरत्र व पूर्ववृत्त प्ररूप में किए गए प्रत्येक दावे पर पुलिस की टिप्पणी, तथा सत्यापन अविध में जीविका के साधन सिहत उसकी गतिविधियों के बारे में एक सामान्य रिपोर्ट भी होगी । पुलिस यह विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिकथन करेगी कि क्या ऐसी समयाविध में व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है अथवा कारावास के दण्डनीय अपराध के लिए उसके विरुद्ध सिद्ध दोष हुआ है ।
  - 6. पुलिस विनिर्दिष्ट रूप से यह टिप्पणी करेगी कि क्या काम पर रखे जाने वाला या नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति, जो प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के सत्यापन के अधीन है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करेगा।
  - 7. पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट चरित्र और पूर्ववृत्त प्ररूप की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर जारी कर दी जाए।
  - 8. किसी व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त संबंधी पुलिस की रिपोर्ट को गोपनीय श्रेणी में रखा जाएगा । इसे चरित्र व पूर्ववृत्त के लिए अनुरोध करने वाली सुरक्षा अभिकरण के पदासित अधिकारी के नाम से होगी ।
  - 9. एक बार चरित्र व पूर्ववृत्त रिपोर्ट के जारी होने के बाद यह तीन वर्षों तक विधिमान्य होगी ।
  - 10. पुलिस सत्यापन के आधार पर अथवा उनके स्वयं द्वारा सत्यापन के आधार पर, सुरक्षा अभिकरण प्ररूप 3 में व्यक्ति को चरित्र प्रमाणपत्र जारी करेगी । यह प्रमाणपत्र उस सुरक्षा अभिकरण के अधीन उस व्यक्ति के कर्मचारी न होने के बाद भी, सुरक्षा अभिकरण द्वारा वापस नहीं लिया जा सकेगा ।

- 5. सुरक्षा प्रशिक्षण:-- (1) नियंत्रक प्राधिकारी, सुरक्षा गार्डी के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा। यह प्रशिक्षण न्यूनतम 20 दिनों की अवधि में दिया जाने वाला, न्यूनतम 100 घंटे की कक्षा में शिक्षण तथा 60 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा। मूतपूर्व सैनिको और पूर्व पुलिस कामिकों को केवल संघनित पाठ्यक्रम, न्यूनतम 40 घंटे कक्षा में निदेश और 16 घंटे फील्ड प्रशिक्षण होगा जो 7 कार्य दिवसों में होगा।
  - (2) प्रशिक्षण में निम्न विषय होंगे;
  - (क) जनता में आचरण और वर्दी को सही ढंग से धारण करना;
  - (ख) शारीरिक सक्षमता प्रशिक्षण;
  - (ग) शारीरिक की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, भवन/अपार्टमेंट की सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा;
  - (घ) अग्नि शमनः
  - (ड.) भीड़ नियंत्रण;
  - (च) पहचान पत्र, पासपोर्ट तथा स्मार्ट कार्ड सहित पहचान कागजातों की जाँच;
  - (छ) उम्मीदवार को अंग्रेजी अक्षरों तथा अरबी अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने योग्य होना चाहिए, जैसा कि सामान्यतया पहचान दस्तावेज़ो, शस्त्र अनुक्राप्ति, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण शीट में आते हैं;
  - (ज) छुपी हुई विस्फोटक वस्तुओं की पहचान;
  - (झ) गाथमिक चिकित्सा;
  - (ञ) सकट से निपटना और आपदा प्रबंधन;
  - (ट) र तत्मक ड्राइविंग (सशस्त्र गाड़ियों के ड्राइवर के लिए अनिवार्य तथा दूसरों के लिए वैकल्पिक);
  - (ठ) अवर्जित आयुधों तथा अग्नेयास्त्र का उठाना-रखना और संचालन (वैकल्पिक);
  - (ड) भारतीय दण्ड संहिता का प्रारंभिक ज्ञान, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया, शस्त्र अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं), विस्फोटक अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं);
  - (ढ) पुलिस तथा सैन्य बलों के रैंक के बैज;
  - (ण) जनता और पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न शस्त्रों की पहचान;
  - (त) सुरक्षा उपकरण और युक्तियों का उपयोग (उदाहरण के लिए सुरक्षा अलार्म और स्क्रीनिंग उपकरण); और
  - (थ) नेतृत्व और प्रबंधन (केवल सुपरवाइजरों के लिए) ।
- (2) सुरक्षा गार्ड को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संगठन द्वारा प्ररूप 4 में एक प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

- (3) सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण सुविधा के कृत्यों का निरीक्षण करेगा। सामान्यता ऐसा निरीक्षण प्रति वर्ष कम से कम दो बार किया जाएगा।
- (4) सभी प्रशिक्षण अभिकरण नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से सफल प्रशिक्षणार्थियों की एक सूची उसे प्रस्तुत करेंगे।

#### 6. सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक मानदण्डः

- (1) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा नियुक्त या काम पर रखे गए प्राइवेट सुरक्षा गार्ड नीचे दिए गए शारीरिक मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगेः
  - (क) क़द, 160 से.मी. (महिला 150 से.मी.), वज़न क़द-वज़न की मानक सारणी के अनसार, सीना 80 से.मी. जो 04 से.मी. फूलना चाहिए (महिलाओं के लिए सीना माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है),
  - (ख) नेत्र दृष्टि— दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 चश्मे अथवा इसके बिना, वर्णांधता से मुक्त, सुरक्षा उपकरणों के प्रदर्श में रंगों को विभेद और पहचान करने और अंग्रेजी अक्षरों तथा प्रदर्श में अरबी के अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने के योग्य होना चाहिए।
  - (ग) संहतज़ानुक (knock-knee) और चिपटा पैर से मुक्त; छह मिनट में एक किलोमीटर तक दौड़ने योग्य ।
  - (घ) श्रवणः दोष से मुक्त हो; सुनने और बोलने की आवाज़ का उत्तर देने तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा उत्पन्न अलार्म पर प्रतिक्रिया करने योग्य हो ।
  - (ड.) उम्मीदवार तलाशी लेने, वस्तुओं को हाथ में लेने और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को रोकने के लिए बल प्रयोग करने के लिए कुशल और समर्थ हो ।
- (2) उम्मीदवार किसी छुआ-छूत की बीमारी अथवा उसके लक्षण से मुक्त हो । वह ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त न हो जिसका उसकी सेवा के दौरान बढ़ने की आशंका हो या जिससे वह सेवा के लिए अनुपयुक्त हो जाए या जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाए।
- (3) अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पास कार्यरत प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की किसी स्वास्थ्य परीक्षा के प्रत्येक 12 माह पश्चात, उसकी अन्तिम ऐसी स्वास्थ्य जाँच की जाती है ताकि उसके प्रवेश के समय निर्धारित शारीरिक मानदण्ड का सतत् अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

#### 7. सुपरवाइज़रों के लिए उपबंधः

- (1) 15 से अनिधक प्राइवेट सुरक्षा गार्डी के कार्य का पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक होगा।
- (2) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड विभिन्न परिसरों में सुरक्षा ड्यूटी पर हैं की दशा में और एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना व्यवहार्य न हो तो अभिकरण अधिक संख्या में पर्यवेक्षकों को तैनात करेगी ताकि कम से कम प्रत्येक छह सुरक्षा गार्डों की सहायता, सलाह और पर्यवेक्षण के लिए, एक पर्यवेक्षक उपलब्ध हो।

## 8. अनुझप्ति को अनुदत्त तथा नवीकरणः

- (1) किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को प्ररूप 5 के विहित रूप में अधिनियम की धारा 7 के खंड (1) के अधीन किया जाएगा।
- (2) उपनियम (1) में संदर्भित आवेदन के साथ, जहाँ आवेदन किया जा रहा है, संबद्ध राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी को संदेय, धारा 7 के खंड 3 के अधीन विहित मांगदेय ड्राफ्ट अथवा बैंकर चेक फीस के भुगतान के रूप में जमा किया जाएगा।
- (3) उपनियम (1) में संदर्भित प्रत्येक आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को या तो व्यक्तिशः अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा ।
- (4) उपनियम (1) में संदर्भित आवेदन प्राप्त करने व आवेदन प्राप्ति की तिथि नोट करने के पश्चात नियंत्रक प्राधिकारी आवेदक को एक पावती देगा।
- 9. अनुज्ञप्ति का अनुदत्त-- नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति के पश्चात, नियंत्रक प्राधिकारी आवेदक की उपयुक्तता के बारे में तथा आवेदित कार्य-क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने की आवश्यकता के बारे में भी स्वयं को समाधान करेगा, तथा सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, प्ररूप 6 में सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगा।
  - (2) नियंत्रक प्राधिकारी, स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के प्राइवेट सुरक्षा गार्डी और सुपरवाइजरों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण तथा दक्षता का सत्यापन कर सकेगा।
  - (3) नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की अनुज्ञप्ति को जारी रखने अथवा अन्यथा का पुनर्विलोकन कर सकेगा जिन्होंने अपेक्षित प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने की शर्तों का अनुपालन न किया हो ।

- 10. अनु**झप्ति प्रदान करने की शर्तः** (1) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित समयाविध के भीतर प्राइवेट सुरक्षा सेवा संबंधी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करेंगा।
  - (2) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अभिकरण को बनाने वाले के प्रत्येक व्यक्ति का नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, पत्राचार के लिए पता और मुख्य व्यवसाय के बारे में सूचना देगा।
  - (3) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को अभिकरण को बनाने वाले के व्यक्तियों के पते में किसी परिर्वतन, प्रबंधन में परिवर्तन के संबंध में, ऐसे परिवर्तन के सात दिनों के भीतर सूचित करेगा।
  - (4) अनुज्ञप्तिधारी, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में कर्तव्यों के निर्वहन के दारान, अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों या अभिकरण द्वारा नियुक्त या काम पर रखे गए प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षकों के विरुद्ध अभिकरण के व्यक्तियों के विरुद्ध तय किए गए आपराधिक आरोपों के बारे में नियंत्रक प्राधिकारी को तत्काल सूचित करेगा । इस संसूचना की एक प्रति उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भी भेजेगा, जहाँ आरोपी व्यक्ति निवास करता है ।
  - (5) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, इस नियमों में विहित शर्तों के रूप में जिन पर अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, सुरक्षा गार्डों के लिए विहित शारीरिक मानकों और उनके प्रशिक्षण की अपेक्षाओं का पालन करेगा।
  - (6) इन नियमों में प्रावधान के अपवाद खंड के रूप में, अनुज्ञप्ति के अनुदत्त के लिए भुगतान की गई रकम अप्रतिदेय होगी।
- (11) अनु**ज्ञप्ति का नवीकरण** —(1) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक अभिकरण नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन करेगा ।
  - (2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए ली जाने वाली फीस इसके अनुदत्त के लिए ली गई फीस के समान होगी।
- (12) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए शर्ते— अनुज्ञप्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः
  - (क) आवेदक, नियंत्रक प्राधिकारी के अधिकारिता में अपने कारोबार का प्रधान स्थान बनाए रखता है।
  - (ख) आवेदक, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को अपेक्षित प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखता है।

- (ग) आवेदक अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करना जारी रखता है।
- (घ) पुलिस को आवेदक की अनुज्ञप्ति के नवीकरण करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
- (3) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के आवेदन हेतु प्ररूप वही होगा जो मूल अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन हेतु प्ररूप है।
- 13. अपील व इसकी प्रक्रिया— (1) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील प्ररूप 7 में की जाएगी जो पीड़ित व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और इसे व्यक्तिशः या पंजीकृत डाक द्वारा अपील अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।
  - (2) नियंत्रक प्राधिकारी, अधिनियम की घारा 14 के अधीन फाइल की जाने वाली अपील के लिए फीस और इसके भुगतान की विधि निधारित कर सकेगा ।
- 14. अभिकरण द्वारा अनुरक्षित किया जाने वाला रिजस्टरः अधिनियम के अन्तर्गत, निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा अनुरक्षित किया जाने वाला रिजस्टर प्ररूप 8 में रखेगा।
- 15. फोटो पहचान-पत्र से संबंधित मामलेः
  - (1) मूल अधिनियम की धारा 17 के उपखण्ड 2 के अधीन प्रत्येक फोटो पहचान-पत्र प्ररूप 9 जारी किया जाएगा ।
  - (2) फोटो पहचान-पत्र में पूरे चेहरे का रंगीन चित्र, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का पूरा नाम, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम और फोटो पहचान-पत्र जारी करने वाले व्यक्ति की पहचान संख्या होगी।
  - (3) फोटो पहचान-पत्र में अभिकरण व्यक्ति की स्थिति और तारीख, जिस तक फोटो पहचान-पत्र विधिमान्य है, का स्पष्ट उल्लेख होगा ।
  - (4) फोटो पहचान पत्र अद्यतन रखा जाएगा और विवरण में हुए किसी भी परिवर्तन को उसमें दर्ज किया जाएगा।
  - (5) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र, एक बार प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति समाप्त होने या उसे काम से हटा दिए जाने के पश्चात, जारीकर्ता अभिकरण को वापस करना होगा।

- (6) फोटो पहचान-पत्र के खो जाने या चोरी हो जाने की सूचना तत्काल जारीकर्ता प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को देनी होगी।
- 16. अन्य शर्ते-- (1) चाहे प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी अपने निजी सुरक्षा गार्ड के लिए ड्यूटी पर यूनिफार्म पहनना अनिवार्य करे, या न करे, इसके होते हुए भी, प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने सुरक्षा गार्डों को;
  - (क) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को सुभेदक बाजू बैज ;
  - (ख) संगठन में उसका पद दर्शाने वाला कंधे या वक्ष का बैज ;
  - (ग) सीटी की डोरी से बंधी सीटी और जो बाँयी जेब में रखी जाएगी;
  - (घ) फीते और सूराख़ सहित जूते ;
  - (ड.) सिर पर पहनने की टोपी जिस पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का सुभेदक चिह्न भी हो सकता है;

जारी करेगा और उन्हें पहनने का आबद्धक अनिवार्य करेगा।

- (2) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह ड्यूटी पर हो, तो उसके द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र ऐसे होंगे जो उसकी दक्षतापूर्ण पालन में बाधा उत्पन्न न करें। विशेषकर, वे न तो बहुत तंग हों और न ही बहुत ढीले होंगे, जिससे उसकी गतिविधियों या अंगों को मोड़ने में बाधा हो।
- (3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड अपने पास एक नोट-बुक और एक लेखन उपकरण रखेगा ।
- (4) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह सक्रिय सुरक्षा डयूटी पर हो, अधिनियम की धारा 17 के अधीन जारी फौटो पहचान पत्र, अपने शरीर पर किसी सहज दृश्य स्थान पर कमर से ऊपर बाहरी वस्त्र पर प्रदर्शित करते हुए धारण करेगा।

[सं. VI-24021/14/2005-पी एम-!] हरिमन्दर राज सिंह, संयुक्त सचिव

# (नियम 3 देखिए) आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

प्रयस प्राथासम्ब	रा उपयोग के लिए	<u>,, </u>		
प्ररूप संख्या प		नेए परूप पेबित क	रने के लिए पुलिस थाने का न	ाम तारीख
	3		3	
कीस रकम रु		गदेय ड्राफ्ट	— बैंक का नाम	— मांगदेय ड्राफ्ट सं.—
•				•
जारी करने की तारी	ৰ	<del></del>		
<del></del>	<del></del>		कृपया स्पष्ट अक्षरों में भरें :	` 
			र सूचना देने अथवा तथ्यों को	छिपाने से उम्मीदवार
	न के लिए अनुपयुक्त		ग हैं)	
1. आवदक का नाम	(आद्याक्षर की अनुमर्	त नहां ह)		
2iिक नाम	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
J!!([*] *  *  *	*			
2. यदि आपने अपने	नाम में कभी कोई	परिर्वतन किया है र	तो कृपया पिछले पूरे नाम (नाम)	क) का उल्लेख करें
~	<b>1</b>			
3. लिंग (पुरुष/महित	ला) ।	4. जन्म ाताथः		•
	ता) ।			
<ol> <li>जन्म-स्थानः ग्राम</li> <li>पिता का पूरा ना</li> </ol>	/टाउन	िंगला		
5. जन्म-स्थानः ग्राम् 6. पिता का पूरा ना आद्याक्षर अनुज्ञात 7. माता का पूरा ना	/टाउन- म/विधिक संरक्षक क नहीं है)म (कुलनाम सहित,		म सहित, यदि कोई हो तो)	
5. जन्म-स्थानः ग्राम् 6. पिता का पूरा ना आद्याक्षर अनुज्ञात 7. माता का पूरा ना (आद्याक्षर की अन् 8. यदि विवाहित है	/टाउन		म सहित, यदि कोई हो तो)	
5. जन्म-स्थानः ग्राम् 6. पिता का पूरा ना आद्याक्षर अनुज्ञात 7. माता का पूरा ना (आद्याक्षर की अ 3. यदि विवाहित है (आद्याक्षर अनुज्ञ	/टाउन	ा पूरा नाम (कुलना यदि कोई हो तो) रा नाम (कुलनाम र	म सहित, यदि कोई हो तो)	

11. स्थायी पता, गली न./थाना,ग्राम तथा जिला (पिनकोड सहित)

12. यदि आपने स्तंभ (9) में दिए गए पते पर लगातार पाँच वर्ष तक निवास नहीं किया है तो कृपया अवधि सहित
निवास का अन्य पता (पते) उल्लेख कीजिए । आपको पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक अतिरिक्त निवास-स्थान व
लिए इस प्ररूप की अतिरिक्त फोटो प्रतियां देनी होगी । प्ररूप की फोटोप्रति दी जा सकती है, परंतु प्रत्येक प्ररूप प
मूल फोटो तथा हस्ताक्षर अपेक्षित होंगे।
सेतकसेतक
13. विदेश में निवास के मामले में, 21 वर्ष की आयु प्राप्त करनें के पश्चात आप जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधि
निवास किया हो; उनका ब्यौरा दीजिएः
·
14. अन्य विवरणः
(क) शैक्षिक अर्हताएः
(ख) पूर्व में यदि किसी पद पर रहें हों तो नियोक्ता का नाम व पताः
(ग) पिछली नौकरी छोड़ने का कारणः
घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिह्न
15. क्या आपने पूर्व में किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का संचालन किया या उसके भागीदार, बहुसंख्यक शेयरधार
अथवा निदेशक रहे हैं? यदि हाँ, तो अभिकरण का नाम, पता तथा इसका अनुज्ञप्ति ब्यौरा दीजिए ।
16. क्या आप जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक है ? यदि आपके पास कोई अन्य
नागरिकता थी, कृपया पूर्व की नागरिक्ता का उल्लेख करें ?
17. क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोष सिद्ध और कारावास के
दंडादिष्ट किए गए हैं ? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए
(निर्णय की प्रति संलग्न कीजिए)
18 क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाहियां लंबित है ? यदि ऐसा
है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराघ का विवरण दीजिस ।

टिप्पणीः जो लागू न हो उसे काट दें।

इस प्ररूप तथा संलग्नकों में गई सूचना सही है और मैं इसकी	(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान*)
तारीख	
स्थान	
20. संलग्नकः	
	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
(* पुरुष बाँए अंगूठे का तथा महिलाएं दाँए अंगूठे का निशान लगाएं)	(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान*)
केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए फाइल संख्याः ————————————————————————————————————	
चरित्र और पूर्ववृत्त रिपोर्ट जारी करने की तारीखः	
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)	
थाने का नाम	
पुलिस ज़िले का नाम	

# (नियम 4 देखिए) सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइज़र के चरित्र व पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	द्वारा प्रयोग के लिए
प्ररूप संख्या	पुलिस सत्यापन के लिए प्ररूप प्रेषित करने के लिए पुलिस थाने का नाम तारीख
कीस रकम रु.	
जारी करने की	तारीख
	ने से पूर्व अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़े । कृपया स्पष्ट अक्षरों में भरें :
-	या सही सूचना प्रस्तुत करें। फार्म में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपाने से उम्मीदवार
नजी एजेंसी में	नियुक्ति/काम पर लगाने हेतु अनुपयुक्त माना जाएगा) ।
-	•
। भारतेस्यकः का	जाम र्जनमन्त्रित महोजो सन्द्रभाग सन्त्र में कोमार्गालयात अस्त्रकात क्रावी की
।. आवेदक का	नाम जैसाकि फोटो पहचान-पत्र में होगा(आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)
	नाम जैसाकि फोटो पहचान-पत्र में होगा(आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)
अंतिम नाम-	
अंतिम नाम-	
अंतिम नाम- 2. यदि आपने	अपने नाम में कभी कोई परिर्वतन किया है तो कृपया पिछले पूरे नाम (नामों क) का उल्लेख व
अंतिम नाम-	
अंतिम नाम- 2. यदि आपने व 3. लिंग (पुरुष/	अपने नाम में कभी कोई परिर्वतन किया है तो कृपया पिछले पूरे नाम (नामों क) का उल्लेख व
अंतिम नाम- 2. यदि आपने ३ 3. लिंग (पुरुष/ 5. जन्म-स्थानः	प्रथम नाम — प्रथम नाम — प्रथम नाम क्षेप कोई परिर्वतन किया है तो कृपया पिछले पूरे नाम (नामों क) का उल्लेख व पहिला) । — 4. जन्म तिथिः — प्राम/टाउन जिला जिला प्राम/टाउन व देश
अंतिम नाम- 2. यदि आपने ३ 3. लिंग (पुरुष/ 5. जन्म-स्थानः	अपने नाम में कभी कोई परिर्वतन किया है तो कृपया पिछले पूरे नाम (नामों क) का उल्लेख व महिला) ।————————————————————————————————————
अंतिम नाम- 2. यदि आपने ३ 3. लिंग (पुरुष/ 5. जन्म-स्थानः 6. पिता का पूर	प्रथम नाम — प्रथम नाम — प्रथम नाम कभी कोई परिर्वतन किया है तो कृपया पिछले पूरे नाम (नामों क) का उल्लेख व पिछले । — 4. जन्म तिथिः — राज्य व देश — राम/विधिक संरक्षक का पूरा नाम(कुलनाम सहित, यदि कोई हो) आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)
अंतिम नाम- 2. यदि आपने ३ 3. लिंग (पुरुष/ 5. जन्म-स्थानः 6. पिता का पूर	प्रथम नाम — प्रथम नाम — प्रथम नाम क्षेप कोई परिर्वतन किया है तो कृपया पिछले पूरे नाम (नामों क) का उल्लेख व पहिला) । — 4. जन्म तिथिः — प्राम/टाउन जिला जिला प्राम/टाउन व देश
अंतिम नाम- 2. यदि आपने ३ 3. लिंग (पुरुष/ 5. जन्म-स्थानः 6. पिता का पूर 7 माता का पूरा	प्रथम नाम — प्रथम नाम — प्रथम नाम कभी कोई परिर्वतन किया है तो कृपया पिछले पूरे नाम (नामों क) का उल्लेख व पिछले । — 4. जन्म तिथिः — राज्य व देश — राम/विधिक संरक्षक का पूरा नाम(कुलनाम सहित, यदि कोई हो) आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)
अंतिम नाम- 2. यदि आपने ३ 3. लिंग (पुरुष/ 5. जन्म-स्थानः 6. पिता का पूर 7 माता का पूरा 8 यदि विवाहित	प्रथम नाम अपने नाम में कभी कोई परिर्वतन किया है तो कृपया पिछले पूरे नाम (नामों क) का उल्लेख व पहिला) । ———————————————————————————————————

11. स्थायी पता, गली न./थाना,ग्राम तथा जिला	(पिनकोड सहि	त <b>े</b>		
	·		•	
12. यदि आपने स्तंभ (9) में दिए गए पते पर ल			<del>ال من من من من من من من من المستحد المستحد</del>	<del></del>
निवास का अन्य पता (पते) उल्लेख कीजिए। आ	<del></del>	رون برون برون برون برون برون برون برون ب	بري ويسمد و منتفظ الواند بي في المساعد	
लिए इस प्ररूप की अतिरिक्त फोटो प्रतियां देनी ह	होगी। प्ररूप व	न कोटोप्रति दी	जा सकती है, प	रंतु प्रत्येक प्ररूप पर
मूल फोटो तथा हस्ताक्षर अपेक्षित होंगे।	•			
		•		•
तक	<del></del>	——————————————————————————————————————	7	<b>ক</b>
······································			. <del>**</del>	<b>-</b>
<del></del>	<del>,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, </del>	<u></u>	·	
42 विदेश में दिवास के समादे में ८४ वर्ष की र			र विकास स्थापनी गर	र गोल्ड लाई को अधिक
13. विदेश में निवास के मामले में, 21 वर्ष की 3 निवास किया हो, उनका ब्योश दीजिए:	अयु प्राप्त करः	ा क परचात आप	र राजान स्थाना प	र एक वय स आवप
ापास ।प्रया हा, जगपरा ब्यास द्याजरः	· -		· .	
			•	·
				·
14. अन्य विवरणः		-		·
(क) शैक्षिक अर्हताः			•	•
(ख) पूर्व में यदि किसी पद पर रहें हों तो निये	ोठता का नाम	त पताः		
(ग) पिछली नौकरी छोड़ने का कारणः	14/11 4/1 11/1	4 3/11		
·	<del></del>		······································	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिहन			·	······································
च) ऊँचाई (सेमी में)				
15. क्या आप केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्व	जिनक क्षेत्र के	उपक्रम/कानूनी	निकाय में सेवा	रत् हैं - हाँ/नहीं
16. क्या आप जन्म/विरासत/ रजिस्ट्रीकरण/देशीय	करण दारा भा	रत के नागरिक	है ? यदि आपर्वे	े पास कोई अन्य
नागरिकता थी तो कृपया पूर्व की नागरिक्ता का र				
	occidi 4/1 ;			
				•
17. क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा व	इंदिक अपराध	के लिए दोष सि	ाट और कारावार	प्त से दंडादिष्ट किए
गए हैं ? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम वा		•		
संलग्न कीजिए)	५ ७७मा सम	GHOUN MAKIN	471 144 V-1 MII.	or 2 (1.11.4. 461 5111)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			,	
				·
18. क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपरा			कार्यवाहियां लंबि	त है ? यदि ऐसा
we are minimized and that, while them the them			· _ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
•				•

बाह	क्या किसी न्यायालय द्वारा कोई वारंट या उपस्थिति के वि र जाने की निषेधाज्ञा जारी की गई है? यदि ऐसा है तो न्याय		-		•
411 v	त्र । ———————————————————————————————————	<u> </u>			·
20.	स्वतः घोषणाः इस प्ररूप तथा संलग्नकों में दी गई सूचना सही है और मै	इसकी र	ात्यता के वि	लेए पूर्णतः र	उत्तरदायी हूँ ।
			(आहेटक	का हरताक्षर	/अंगूठा निशान*
तारी	ख		1011-14-1		
स्थाः	· 				
21.	मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में सूचना देने के लिए व्यक्ति नाम	न का ब्यौरा	•	· ,	
	η <del>σι</del>	<del>'</del>	<u>, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	······································	
	ਪੁਰਿਕਤ ਕੰਗ <i>ਗਿ</i> ਲਾਸ਼ਕ ਕੰਕਰ	<del></del>		<del></del>	
	मोबाइल नंबर/दूरभाष नंबर		•	•	•
22.	अनुलग्नकः	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	- 	·
		<del></del>	<del></del>	<del>ynt 1* 1 7 - 14 7 - 14</del>	
			(आवेदक व	न हस्ताक्षर/	अंगूठा निशान*)
(*	पुरुष बाँये हाथ के अंगूठे का एवं महिलां दाँये हाथ के अंगूठे	का निशान	लगाएं)		•
*वं	नेवल कार्यालय के प्रयोग के लिए				
<del></del>	ल संख्याः	•			
चरि	त्र और पूर्ववृत्त रिपोर्ट जारी करने की तारीख:	<u>.</u> ,			
-	ना प्रभारी के हस्ताक्षर) का नाम ————				
	सं ज़िले का नाम				
J` <b>`</b> '			•		
टिप	ाणीः जो लागू न हो उसे काट दें।		•		

जारी करने की तारीखः

#### प्ररूप 3

# (नियम 4 देखिए) चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण-पत्र

,	पुत्र/पुत्री·
अच्छी ख्याति के हैं, और पिछले एक वर्ष से वि	सका ब्यौरें निम्नलिखित है, अच्छे नैतिक चरित्र और निम्न पते पर लगातार निवास कर रहा है।
जन्म तिथिः	
जन्म स्थानः	
शैक्षिक अर्हताः	
व्यवसायः	
वर्तमान पताः	
स्थायी पताः	
	जारीकर्ता प्राधिकारी
	हस्ताक्षर
	नामः
	पदनामः पता/दूरभाष संख्याः

(नियम 5 देखिए)

# प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र

क्रम संख्या

प्रशिक्षण अभिकरण का नाम प्रशिक्षण अभिकरण का पता

# अनुज्ञप्ति संख्या

प्रमाणित किया जाता है कि श्रे पुत्र/पुत्री श्री————————————————————————————————————	<del></del>	-, निवासी:		
प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्ति	या काम पर रखे जाने के	लिए निर्धारित प्र	शिक्षण पूरा कर लिया है।	
उसके हस्ताक्षर नीचे साक्ष्यांकि	त हैं।			
प्रमाण-पत्रधारी के हस्ताक्षर	•			

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम

जारी करने का स्थानः जारी करने की तारीखः

(नियम 8 देखिए)

# प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का व्यवसाय करने के लिए नई अनुझप्ति/अनुझप्ति नवीकरण हेतु आवेदन -पत्र

	मधिकारी	
मधोहर		
मधोहर		
मधोहर		
	ताक्षरी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के क्षेत्र में प्रचालन सेवाओं का कार	खार चल
	प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है—	· •
		•
I	आवेदक का पूरा नाम	•
2.	आवेदक की राष्ट्रीयता	
3,	पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री	•
<b>.</b>	आवासीय पता	•
5.	पता जहाँ आवेदक अपना अभिकरण प्रारंभ करने का इच्छुक है।	
<b>3.</b>	प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम	
7.	अभिकरण के स्वतःधारी, भागीदार, बहुसंख्यक शेयरधारक, निदेशव	न तथा अ
	नाम तथा पता ।	
3.	उपलब्ध सुविधाओं का नाम और विस्तार	
<b>)</b> .	अनुदेश देने के लिए लगे कर्मचारीवृंदों की अर्हताएं;	
	पदनाम	
10.	सुरक्षा सेवाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपस्कर	
	(क) द्वार पर लगाए जाने वाले धातु संसूचक	
	(ख) हाथ वाले धातु संसूचक	
	(ग) बारूदी सुरंग संसूचक	
	(घ) अन्य संसूचक	
	(i) बेतार दूरमाष	
	(ii) संचेतक युक्तियां	

- 11. वर्दी के ब्यौरे जिसके अंतर्गत रंग भी है यदि आवेदक के निजी सुरक्षा गार्डी पर्यवेक्षकों के लिए कोई वर्दी प्रयोग करने का आशय रखता है:
- 12. क्या आवेदक एक से अधिक ज़िलों में प्रचालन का इरादा रखता है? यदि हाँ, तो ज़िलों के नाम

12.		45	الجوال موادر المحادد ا المحادد المحادد
-----	--	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 13. क्या आवेदक संपूर्ण राज्य में प्रचालन का इरादा रखता है?
- 14. क्या आवेदक स्वयं प्रशिक्षण सुविधा खता है अथवा बाहर से प्रशिक्षण दिलाएगा? प्रशिक्षण सुविधा देने वाले का नाम व पता दीजिए ।

हस्ताक्षर आवेदक का नाम आवेदक का पता आवेदक का तूरभाष नंबर आवेदन की तारीख

#### अनुलग्नकः

- 1. चालू आयकर निकासी प्रमाण-पत्र की प्रति
- 2. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में यथाविहित शपथ-पत्र
- 3. अन्य संलग्नक

(नियम 8 देखिए)

# राज्य सरकार का नाम----प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने के लिए अनुज्ञप्ति

क्रम संख्या					
तारीख				-	•
श्री/सुश्री	. <u> </u>	-(आवेदक	का नाम) पु	त्र/पुत्री	
	दिने		(कार्यालय		त पर
स्थित कार्यालय से	ज़िले/राज्य	(जो लागृ	न हो उ	से काट दें)	में प्राइवेट
सुरक्षा अभिकरण का व्यवसाय के प्रचालन	न के लिए	هوراه خواه دراهه هوای دراون مراو دراو دراو دراو دراو دراو دراو دراو د		के नियंत्रव	प्राधिकारी
द्वारा अनुज्ञिप्त अनुदत्त की जाती है।		•		· •	
जारी करने का स्थानः	-	-			
जारी करने की तारीखः	•		•	-	
यह अनुज्ञप्तितक वैध	ध है।		•	•	
		•	•		

हस्ताक्षर अनुदत्त प्राधिकारी का नाम पदनाम कार्यालय का पता

# नवीकरण

(नियम 8 देखिए)

नवीकरण की तारीख

अवसान की तारीख

हस्ताक्षर नवीकरण प्राधिकारी का नाम पदनाम कार्यालय का पता

स्थानः

#### प्ररूप 7

(नियम 9 देखिए)

# अपील के लिए प्ररूप

	अपीलकर्ता			•
	पुत्र/पुत्री	التناوي التناو - 	——-निवासी	
		बनाम		
	नियंत्रक प्राधिकारी/		P fine daile dans déspublicades services déspués que septe des después des des des la région de la company de la c	
	तारीख		(नियंत्रक प्राधिकारी	
	•		हा नाम) के प्रचालन	
अस्वीक	नर किए जाने के आदे	श के विरुद्ध, उपर्युक्त 3	गपीलकर्ता	(राज्य के गृह
	•	——————————————————————————————————————	ति के निम्न आधार दिए	
	4	·	•	
	j	·	· :	
	2.	44.		
	3.	, , ,		
,	4	فيهم ويشد ميك ميدي والك فيهية هيئه فسيد والكه فقاله ميك المناه وسيد والكه والمناه وسيد فيت ميك فيسب شيوا م		
	•			
संलग्न	क दस्तावेज़ों की सूचीः			
• •		•		•
<del></del>	مرم خارات دوم جارات بارس بارس می میشود بازد و می اینان برای و می اینان برای و می		•	•
			•	हस्ताक्षर
			വനിക്കുന്	का नाम व पदनाम
			UVMDIE TO	ماءة بلقيد مما يايمل وديو
तारीखः	•			

# 8-PPK

(ग्रह्मित्र १० सप्रसी)

# रुअलि - गुर्भिक

#### (एष्ट्रिक्टी स्प्रिकेस् ।-ागाम्)

	,	•		-	माम क	
सारीख			गुख्या		क्रिक्तिश्विक्त्रभाष्ट	
कि न्इछि	•	·	ह्यमाष	मोम एक	ह्मा ह	
में नियुक्ति		-	र्जाह्म	किमि\किम	मिंहा देखने	प्रिक्री
अधिनक्रिया	11512(द्रेग)	154 कि।ष्ट्रि	वर्तमान	-1171FF	क एएकमिह	দ্র

# (प्राञ्चाकप्रमूस ११६५) है।। विश्वार ११-१०११

		·						. Z
						·		
	·				संख्या			
					वास्त्रह	·		
न्प्र				छि। पि	FIFE	नाम		
सिडित	गुख्या		lPP	न्डांछ\त्र्वाहुन	गुर्ग	145	माम ।क	ाष्ट्रमेर
<b>छि</b> ।	TU P	लगार्गर्	विशक्त	मं एउत्हारीह	वर्तमान	किम	काष्ठिष्टिष/डेताक	দিন্চ

### (कजाए |||-गिर्म)

		क <b>्र</b>		•	
	;	प्रीक्त ग्राष्ट्रम्	ई क्रिक		
	न्त्रिख	कि ज्ञार	कि नाइए	नंबर	
छिति ति	कि निप्रक	ाष्ट्रिक्ट्या	ाह्य सुरक्षा	नित्म प्रीरि मान	•
स्रीमिस्र कि	Hylk 16f3	जपलब्दा कर्गाए	मान का नाम	कि केहार	ाष्ट्रिम मक्

# (प्रउपित डिक्टि VI - mtt)

	· ·					
Ì	प्रमित	समर	क्रमाए गए हैं			
	र्गाशिख और	र्जाशेख और	व्यक्ष		का नाम	
	कि निप्रक	कि निप्रक	-1ल्रीग/हर्गष्ट	किम पत्त	काष्ट्रिपर्यवेक्षक	
	न्गामम् डिद्रुख	मिंग्राप्र डिहुड	ड्रेकि 1195	नाष्ट्र डिड्ड	क्षिर्म उर्घार	म्छिंत्र मक

#### प्ररूप - 9

(नियम 11 देखें) निजी सुरक्षा/पर्यवेक्षक के लिए फोटो -पहचान-पत्र

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम-----

कार्यालय पदनाम
पहचान संख्या
जारी करने की तारीख
तक वैघ है।
पहचान -पत्रधारक के हस्ताक्षर

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय की मोहर

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2006

- S.O.617(E).—In exercise of powers conferred by section 24 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Act 29 of 2005), the Central Government hereby makes the following model rules, namely:
- 1. Short title and Commencement. (1) These Rules may be called the Private Security Agencies Central Model Rules, 2006.
  - (2) They will come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions. In these Rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a)"Act" means the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005;
    - (b)"Agency" means the Private Security Agency;
    - (c)"Controlling Authority" means, the Controlling Authority so declared under the Act.
    - (d)"Form" means, a Form appended to these Rules.
    - (e)"License" means a license granted under the Act
- (f) words and expressions not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.
- 3. Verification of-the antecedents of the applicants. (1) Every applicant while making an application to the Controlling Authority for the issue of a fresh license or renewal shall enclose the Form I for verification of his antecedents. If the application is a company, a firm or an association of persons, the application shall be accompanied by Form I for every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they were also the applicants.

Comgendum Out 19.50

- (c) by relying on the report received from the police authorities signed under the authority of the District Superintendent of Police or an officer of the equivalent or higher rank.
- (2) The person desirous of getting employed or engaged as security guard or supervisor shall submit Form II to the Agency. If the person has stayed in more than one District during the last five years, the number of forms will be as many as Districts.
- (3) The Agency shall cause an inquiry into the correctness of the particulars filled in either by itself or by sending the form to the respective District Superintendent of police.
  - (4) The State Government may prescribe the form and the manner in which the fee is to be deposited for the service of character and antecedent verification by police.
  - (5) The police will establish identity of the individual and verify the character and antecedents of the person by making a visit to the locality where the person claims to have resided or residing and ascertain his identity and reputation from the respectable residents of the locality. They will also consult the police station record of the concerned police station and other records at the District Police Headquarter before preparing the character & antecedents verification report. This report will contain the comments of the police on every claim of the person in character and antecedent Form and also a general report about his activities including means of livelihood in the period of verification. The police will specifically state if there is a criminal case registered against the person at any point of time or if he has ever been convicted of criminal offence punishable with imprisonment
  - (6) The police will specifically comment if the engaging or employing the person under verification by the Private Security Agency will pose a threat to National Security.
  - (7) The police authorities shall ensure that character and antecedent verification report is issued within ninety days of the receipt of the character and antecedent form.

- (8) The report of the police regarding character and antecedents of a person will be graded as confidential. It will be addressed in named cover to a designated officer of the Security Agency requesting for character and antecedents.
- (9) Character and antecedents verification report once issued will remain valid for three years.
- (10) On the basis of police verification and on the basis of their own verification, the Agency shall issue in Form III a character certificate and this certificate will not be taken back by such Agency even if the person ceases to be the employee of that Agency.
- 5. Security training.— (1) The Controlling Authority shall frame the detailed training syllabus required for training the security guards. This training shall be for a minimum period of hundred hours of classroom instruction and sixty hours of field training, spread over at least twenty working days. The exservicemen and former police personnel shall however be required to attend a condensed course only, of minimum forty hours of classroom instructions and sixteen hours of field training spread over at least seven working days.
  - (2) The training will include the following subjects, namely:—
  - (a) conduct in public and correct wearing of uniform;
  - (b) physical fitness training;
- (c) physical security, security of the assets, security of the building or apartment, personnel security, household security;
  - (d) fire fighting;
  - (e) crowd control;
- (f) examining identification papers including identity cards, passports and smart cards;
- (g) should be able to read and understand English alphabets and Arabic numerals as normally encountered in the identification documents, arms licence, travel documents and security inspection sheet;

- (h) identification of improvised explosive devices;
- (i) first-Aid;
- (j) crisis response and disasters management;
- (k) defensive driving (compulsory for the driver of Armored vehicle and optional for others);
- (l) handling and operation of non-prohibited weapons and firearms (optional);
- (m) rudimentary knowledge of Indian Penal Code, right to private defense, procedure for lodging first information report in the police station, Arms Act (only operative sections), Explosives Act (operative sections);
  - (n) badges of rank in police and military forces;
- (o) identification of different types of arms in use in public and Police;
- (p) use of Security equipments and devices (for example; security alarms and screening equipments); and
  - (q) leadership and management (for supervisors only).
- (3) The security guard will have to successfully undergo the training prescribed by the competent Authority. On completion of the training each successful trainee will be awarded a certificate in Form IV by the training institute or organization.
- (4) The competent Authority will inspect the functioning of training facility from time to time either by itself or through its own officers. Normally such inspection will be conducted at least two times every year.
- (5) All the Agencies shall submit a list of successful trainees to the Controlling Authority in the manner prescribed by it.

- 6. Standard of physical fitness for security guards.— (1) A person shall be eligible for being engaged or employed as security guard if he fulfill the standards of physical fitness as specified below:—
  - (i) Height, 160 cms (for Female 150 cms), Weight according to standard table of height and weight, chest 80 cms with an expansion of 4 cms (for females no minimum requirement for chest measurement).
  - (ii) Eye sight: far sight vision 6/6, near vision 0.6/0.6 with or without correction, free from color blindness should be able to identify and distinguish color display in security equipments and read and understand display in English alphabets and Arabic numerals.
  - (iii) Free from knock knee and flat foot and should be able to run one Kilo Meter in six minutes.
  - (iv) Hearing: free from defect; should be able to hear and respond to the spoken voice and the alarms generated by Security equipments.
  - (v) The candidate should have dexterity and strength to perform searches, handle objects and use force for restraining the individuals in case of need.
- (2) A candidate should be free from evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public.
- (3) Agency shall ensure that every security guard working for it undergoes a medical examination after every twelve months from his last such examination so as to ensure his continued maintenance of physical standard as prescribed for the entry level.
- 7. Provision for Supervisors.—(1) There shall be one supervisor to supervise the work of not more than fifteen private security guards.

- (2) In case the private security guards are on security duty in different premises and it is not practical to supervise their work by one supervisor, the Agency shall depute more number of supervisors so that at least for every six private security guards there is one supervisor available for assistance, advice and supervision.
- 8. Manner of making application for grant of licence— (1) Every application by an Agency for the grant of a licence under clause (1) of section 7 of the Act, shall be made to the Controlling Authority in the format prescribed in Form V.
- (2) Every application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by a demand draft or banker's cheque showing the payment of fees as prescribed under clause (3) of section 7, payable to the Controlling Authority of the state concerned where the application is being made.
- (3) Every application referred to in sub-rule (1) shall be either personally delivered to the Controlling Authority or sent to him by registered post.
- (4) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Controlling Authority shall after noting thereon the date of receipt by him of the application, grant an acknowledgement to the applicant.
- 9. Grant of licence.— (1) The Controlling Authority, after receiving an application under sub-rule (1) of rule 8 shall grant a licence to the private security agency in Form VI after completing all the formalities and satisfying itself about the suitability of the applicant and also the need for granting the licence for the area of operation applied for.
- (2) The Controlling Authority either by itself or through its officers may verify the training and skills imparted to the private security guards and supervisors of any private security agency.
- (3) The Controlling Authority may review the continuation or otherwise of licence of such security agencies which may not have adhered to the conditions of ensuring the required training.

- 10. Conditions for grant of licence.— (1) The licencee shall successfully undergo a training relating to the private security service as prescribed by the Controlling Authority within the time frame fixed by it.
- (2) The licencee shall intimate the name, parentage, date of birth, permanent address, address for correspondence and the principle profession of each person forming the Agency within fifteen days of receipt of the license to the Controlling Authority.
- (3) The licencee shall inform the Controlling Authority regarding any change in the address of persons forming the Agency, change of management within seven days of such change.
- (4) The licensee shall immediately intimate to the Controlling Authority about any criminal charge framed against the persons forming the Agency or against the private security guard or supervisor engaged or employed by the Agency, in the course of their performance of duties as private security agency. A copy of such communication shall also be sent to the officer in charge of the police station where the person charged against resides.
- (5) Every licencee shall abide by the requirements of physical standards for the private security guards and their training as prescribed in these rules as the condition on which the licence is granted.
- (6) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of licence shall be non-refundable.
- 11. Renewal of licence.— (1) Every Agency shall apply to the Controlling Authority for renewal of the licence.
- (2) The fees chargeable for renewal of the licence shall be the same as for the grant thereof.
- 12. Conditions for renewal of licence.— The renewal of the licence will be granted subject to the following conditions:-
  - (i) The applicant continues to maintain his principle place of business in the jurisdiction of the Controlling Authority.

- (ii) The applicant continues to ensure the availability of the training for its private security guards and superiors required under sub section (2) of section 5 of the Act.
- (iii) The applicant continues to adhere to the license conditions.
- (iv) The police have no objection to the renewal of the license to the applicant.
- (3) The form for application of renewal of licence will be same as the form for the application for original licence.
- 13. Appeals and procedure.— (1) Every appeal under sub-section (1) of section 14 of the Act shall be preferred in Form VII signed by the aggrieved person or his authorized advocate and presented to the appellate officer in person or sent to him by registered post.
- (2) The Controlling Authority may prescribe a fee for the appeal to be filed under section 14 of the Act and the manner in which such fee will be paid.
- 14. Register to be maintained by the Agency.— The register required to be maintained under the Act by the Agency shall be in Form VIII.
- 15. Photo identity card.—(1) Every photo identity card issued by the Agency under sub-section (2) of section 17 shall be in Form IX.
- (2) The photo identity card shall convey a full-face image in color, full name of the private security guard, name of the Agency and the identification number of the individual to whom the photo identity card is issued.
- (3) The photo identity card shall clearly indicate the individual's position in the Agency and the date up to which the photo-identity card is valid.
- (4) The Photo identity card shall be maintained upto date and any change in the particulars shall be entered therein.

- (5) The photo-identity card issued to the private security guard will be returned to the Agency issuing it, once the private security guard is no longer engaged or employed by it.
- (6) Any loss or theft of photo-identity card will be immediately brought to the notice of the Agency that issued it.
- 16. Other conditions.—(1) Notwithstanding whether the Agency mandates its private security guards to put on uniform while on duty or not, every private security agency will issue and make it obligatory for its security guards to put on:
  - (a) an arm badge distinguishing the Agency;
  - (b) shoulder or chest badge to indicate his position in the organization;
  - (c) whistle attached to the whistle cord and to be kept in the left pocket;
  - (d) shoes with eyelet and laces;
  - (e) a headgear which may also carry the distinguishing mark of the Agency;
- (2) The clothes worn by the private security guard while on active duty shall be such that they do not hamper in his efficient performance. In particular they will neither be too tight nor too loose as to obstruct movement or bending of limbs.
- (3) Every private security guard will carry a notebook and a writing instrument with him.
- (4) Every private security guard while on active security duty will wear and display photo-identity card issued under section 17 of the Act, on the outer most garment above waist level on his person in a conspicuous manner.

# Form I (see rule 3) Form for verification of Antecedents of Applicant

~-@-: or tito	Applicant				= 4			
	·				- Lietto - Maria		·	
For official use							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del> </del>
Form number	Name verificat		police	station	sent	for	police	Date
***************************************						· ,		
Fee Amount Rs. D.D No		Cash	/D.D		Vame o	f Ban	k	
Date of Issue	شيّة جدد سند شد جله لعنا شياحه بيد سد سه ۳۰۰							
Furnishing of information in license)		will ren	ider the	candidat	e unsu	itabl	_	ant of
1 NT	* A /T * A				·			
1. Name of appl	icant (Init	lais not a	allowed)		•		•	
		•				•		
Last name2  2. If you have e	Fi	rst name		من المن المن المن المن المن المن المن ال	icate th	e pre	vious na	ime(s)
Last name2.  2. If you have e	Fi	rst name		من المن المن المن المن المن المن المن ال	icate th	e pre	vious na	ame(s)
Last name  2. If you have earling full	ever chang	rst name	name, p	lease ind		e pre	vious na	(s)
1. Name of appl  Last name  2. If you have e in full  3. Sex (male / fe  5. Place of Birth District,	ever change and the vertical change of the ve	rst name ged your  4.Date  Town	name, p	lease ind		e pre	vious na	

7. Mother's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed)
8. If married, Full Name of Spouse (including surname, if any). (Initials not allowed)
9. Present Residential Address, including Street No./police station, village and District (with PIN code)
Telephone No./Mobile No
10. Please give the date since residing at the above-mentioned address: DD MM YYYY
11. Permanent Address including Street No./police station, village and District (with PIN code)
12. If you have not resided at the address given at COLUMN (9) continuously for the last five 'year, please furnish the other address (addresses) with
duration(s) resided. You should furnish additional photocopies of this form for each additional place of stay during the last five year. Forms may be
photocopied, but photograph and signature in original are required on each
form.
<u>From To To To</u>

13. In case of stay abroad particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of twenty-one years					
14. Other Details:					
(a) Educational Qualifications:					
(b) Previous positions held if any along with name and address of employers:					
(c) Reason for leaving last employment:					
(d) Visible Distinguishing Mark:					
15. Did you earlier operated any Private Security Agency or were its partner, majority shareholder or Director? If yes then furnish the name, address of the Agency and its license particulars.					
16. Are you a citizen of India by: Birth/ Descent/Registration/Naturalisation:  If you have ever possessed any other citizenship, please indicate previous citizenship					
17. Have you at any time been convicted by a court in India for any criminal offence and sentenced to imprisonment? If so, give name of the court, case number and offence. (Attach copy of judgment)					
18. Are any criminal proceedings pending against you before a court in India? If so, give name of court, case number and offence					

1	Q	Solf	Decl	laration	•
T	フ.	2011-	LJC()	iaralion	•

The information given by me in this form and enclosures is true and I am solely responsible for accuracy.

	(Signature/T.I* of applicant)
Date	
Place	
20. Enclosures:	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	••••••••••••
••••••	
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	(Signature / T.I*. of applicant)
(*Left Hand Thumb Impression	n if Male and Right Hand Thumb Impression if
Female)	
FOR OFFICE USE ONLY	
File No.:	
Date of issue of C&A Report	•• <u> </u>
(Signature of Police station In	charge)
Name of Police Station	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Name of Police district	
*N.B. Cancel whatever is not	applicable.

### Form II (See rule 4)

# Form for verification of Character and antecedents Of Security Guard and Supervisor

Thumb Impressi	ion* of the Applic	ant	~~~~~~~~,	-		
			•			
Signature of the	Applicant		<b>使中型电视电阻电动电</b> 电	<b>兼爾赛</b>		
				•		
For official use	only			and provide the second	The second secon	
Form number		police	station	send	for police	Date
Fee Amount Rs. D.D No	Cash	/D.D		lame of	Bank	
Date of Issue ===	•					
BLOCK LET Furnishing of information in	instructions car FERS: (CAUTIC incorrect infor a the form will ngagement in the	ON: Ple mation l rende	ase furn or supp r the ca	ish co ressio andida	rrect inform n of any f	ation. actual
1. Name of appallowed)	licant as should a	ppear in	the photo	-identi	ty card (Initia	als not
Last name	First nan	ne-zzzzzzz				
2. If you have a in full	er changed you	r name, p	olease ind	icate th	ie previous na	ame(s)

3. Sex (male/female) 4.Date of Birth:
5. Place of Birth: Village / Town
District,State & Country
6. Father's Full Name/ Legal Guardian's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed)
S. C. S.
7. Mother's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed)
<del>竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤</del> 竤竤竤 竤
8. If married, Full Name of Spouse (including surname, if any). (Initials not allowed)
9. Present Residential Address, including Street No./police station, village and District (with PIN code)
「「「「」」」「」」「」」「」」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」
Telephone No./Mobile No.
10. Please give the date since residing at the above mentioned address DD/MM/YYYY
<sup>表现在我们的</sup> 是是我们的,我们就是我们的是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们也是是我们的,我们也是我们的,我们也是我们的,我们也是我们的,我们也可以会
11. Permanent Address including Street No./police station, village and Distric

(with PIN code)

Pigricitus G III OII	ginal are require	ear. Forms may be ed on each form.	photocopied, but phot
From	To	From	To
	The state of the s		all places where you ne age of twenty-one y
			۔ اہم شہر اس میں سے بہتر کی کیٹ سے میٹ میٹ کی میٹ ہیں
14. Other De	tails:		
(a) Education	al Qualification	1S	
(h) Provious r	posts held along	g with name and ac	idress of employer
			الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال
	or leaving last e	employment	
	or leaving last e	employment	

15. Are you working in Central Government/ State Govt/ PSU/ Statutory Bodies Yes/ No

16. Are you a citizen of India by: Birth/Descent/Registration/Naturalisation  If you have ever possessed any other citizenship, please indicate previous citizenship
17. Have you at any time been convicted by a court in India for any criminal offence & sentenced to imprisonment? If so, give name of the court, case number and offence. (Attach copy of judgment)
************
18. Are any criminal proceedings pending against you before a court in India? If so, give name of court, case number and offence
******************
*************************
******************
19. Has any court issued a warrant or summons for appearance or warrant for arrest or an order prohibiting your departure from India? If so, give name of court, case number and offence.
**************************************
······································
20. Self Declaration:
The information given by me in this form and enclosures is true and I am solely responsible for accuracy.
(Signature/T.I.* of applicant
(*Left Hand Thumb Impression if Male and Right Hand Thumb Impression if Female)
Date

21. Particulars of person		II tile evelit or	acali or accid	CIII.
Name				•
Address				•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
• • • •			•	. <b></b>
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	• • • • • • • • • • • • • •		
Mobile / Tel. No.	•	•		
# * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
~ T 1			•	
22 Enclosures:	•			· ·
***********	* * = = * * * * * * * * * * * * * * * *			
********				
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
		• • • • • • • • • • • • •		*****
************				
*************				*******
	•	(Signature /	T.I. of applica	antì
		(Digitature)	1.1. Of applica	
	•••			
*FOR OFFICE USE ONI	Y		•	
File No.:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Date of issue of C&A Re	mant	•	-	
Daw of issue of Cock ife	POI	<del></del>		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
(Signature of Police static	on In charge)		-	
Name of Police Station	-		-	
Name of Police district_	·		-	

\* N.B. Cancel entries not applicable.

126561/2006-6

#### Form -III

(See rule 4)

### CHARACTER AND ANTECEDENT CERTIFICATE

Whose particulars are given below.	has good moral character and reputation and
~	at the following address continuously for the
last one year.	
Date of Birth	
Place of Birth	
Educational Qualification:	
Profession:	
Present Address	
Permanent Address	
	Issuing Authority
	Signature

Address/Tel.No.

Name Designation

Date of Issue

# Form IV (See rule 5)

# Training Certificate

Serial number

Name of the Training Agency
Address of the Training agency
License No.

Certified that	son/daughter of	resident of has
completed the prescribed train	ing for the engagement c	or employment as a Private
Security Guard from till	COPP P. St. 150, Ph. Sangaran	
His signature is attested	below.	
Signature of the Certific	ate Holder	

Signature of issuing authority

Designation

Place of issue Date of issue

## Form V (See rule 8)

# APPLICATION FOR NEW LICENCE /RENEWAL OF LICENCE TO ENGAGE IN THE BUSINESS OF PRIVATE SECURITY AGENCY

To	
	The Controlling Authority
	The undersigned hereby applies for obtaining a license to run the business
or oh	erating services in the area of Private Security Agencies
1.	Full name of the applicant:
2.	Nationality of the applicant:
3.	Son/wife/daughter of:
4.	Residential Address:
5.	Address, where the applicant desires to start his Agency:
6.	Name of the Private Security Agency:
7.	Name and addresses of Proprietor, partner, Majority shareholder, Director and Chairman of the Agency:
8.	Name and extent of facilities available:
9.	Qualifications of staff engaged for imparting instructions;
-	Name Age Designation

- 10. Equipments which will be used for Security services
  - (a) Door Framed Metal Detector (DFMD)
  - (b) Hand Held Metal Detector (HHMD)
  - (c) Mine detector
  - (d) Other Detectors
    - (i) Wireless Telephones
    - (ii) Alarm Devices
    - (iii) Armored Vehicles
    - (iv) Arms
- 11. The particulars of the uniform including color in case the applicant intends to use any uniform for the Private Security Guards and Supervisors of the Agency:

12.Does the applicant	intends	to operate	in more	than one	districts?	? If so	the
name of the Districts	•	2.	3	4	5		

- 13. Does the applicant intend to operate in the entire state?
- 14.Does the applicant possesses the training facility in its own or will get it on outsourcing basis? The name and address of training facility should be furnished.

Name of the applicant Address of the application Telephone number of the applicant Date of application

#### Enclosure:

- 1. Copy of current Income tax Clearance Certificate
- 2. Affidavit as prescribed in Section 7 sub-section (2) of the Act
- 3. Other enclosures

### From VI

(See rule 8)

GOVERNMENT	OF	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	'	 _

License to engage in th		ivate Security Agency
Serial No		
Date	•	
Shri	(n)	ame of the Applicant)
S/o	·	
		(Full Address)
Officer for the State of	·	
business of Private Security Age inapplicable words)		
Place of Issue		
Date of issue		
This license is valid up to	اليوا التالية التيام التيام 	
	•	Signature
		Name of granting Authority
		Designation
	•	Official Address
	RENEWAL	
	(See rule 8)	
Date of Renewal	•	Date of expiry
4. 2		•
). 1		•
<b>7.</b>		
		Signature

Name of renewing Authority
Designation
Official Address

Place

# Form VII

(See rule 9)

# Form for Appeal

	An Appeal under sect	ion 14 of the Act
	Appellant	
•	S/o	r/o
		Versus
	Controlling authority/	
	The Home Secretary)	above named appeal to the (State from the order of (Controlling
··	Authority) dated to run Private Securit grounds of objection to 1.	day of and against refusal of license y Agency and sets forth the following to the order appeal from namely
	<b>3</b> .	de mar mar de la berg
	4.	
Enclosed lis	t of documents	
Date		Name and Designation of the Appellant

#### Form VIII

(See rule 10)

## Register of Particulars

### (Part -I Management details)

S.No.	Name of person(s) managing the Agency		Present address& phone no.	<b>.</b>	Nationality	Date of joining/leaving the Agency
1		•				

# (Part II Private Security Guards and Supervisor)

SI. No.	Name of Guard/Supervisor	Father's name	Present address & phone no.	Date of Joining/leaving the Agency	Permanent Address	Photo-graph	Badge No.	Salary with date
1.		-	1.47		-			
2.								7

# (Part III Customers)

Sl.No.	Name of the Customer & phone no.	Address of the place where Security is provided	Number and ranks of Security Guards provided	Date of commencement of services	Date of discontinuation of services
			·		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## (Part IV Duty Roster)

/ Dupci visus	S.No.	Name of the Private Security Guard /Supervisor	İ	provided with	of commencement	Date and time of ending of duty
---------------	-------	------------------------------------------------	---	---------------	-----------------	---------------------------------

#### Form IX

(See rule 11)

Photo-Identity card for Private Security Guard/Supervisor

(Name of the Private Security Agency)

INGILIC
Official Designation
Identification no.
Date of issue
Valid up to
Signature of the cardholder

Signature of the issuing authority